# न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील / डिक्री / टी. / 3169 / 2002 / जालौर

1—माना पुत्र लक्मा चौधरी
2—वीरमा पुत्र लक्मा चौधरी
3—भगवाना पुत्र लक्मा चौधरी
4—दौला पुत्र लक्मा चौधरी
5— केरी पत्नि लक्मा चौधरी
निवासियान दातीवार तहसील बागोडा जिला जालोर

——अपीलांटस

**बनाम**

1— केसरा पुत्र लक्मा चौधरी निवासी दातीवास तहसील बागोडा जिला जालोर
2—समु पुत्री लक्मा चौधरी पत्नि पदमा चौधरी निवासी धाबाउ तहसील बागोडा जिला जालोर

——रेस्पोडेंटस

खण्डपीठ
श्री प्रवीण गुप्ता, सदस्य
श्री सुनील कुमार शर्मा ,सदस्य

उपस्थितः—
श्री मुकेश जैन ,अधिवक्ता अपीलांटस
श्री ओंकारलाल दवे अधिवक्ता रेस्पोडेंटस

निर्णय

दिनांकः 9.1.2020

यह द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 224 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, सिरोही के निर्णय व डिक्री दिनांक 20—3—2002 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है।

2— अपील के संक्षिप्त तथ्यानुसार रेस्पोडेंट / वादी ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88—188 आरटीए परीक्षण न्यायालय सहायक कलेक्टर भीनमाल के समक्ष पेश किया, इस पर प्रतिवादी अपीलांट को जरिये सम्मन तामील किया तथा परीक्षण न्यायालय ने दावे व जबाबदावे के आधार पर प्रकरण में 7 तनकीयात कायम की जाकर बाद उभयपक्ष की सुनवाई वादी / रेस्पोडेटका वाद दिनांक 30—12—2000 को डिक्री कर दिया , जिसकी अपील प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत होने पर उनके द्वारा अपने निर्णय दिनांक 20—3—2002 को अपील को खारिज कर दिया , जिससे व्यथित होकर हस्तगत अपील मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गयी है।

3— अपील पर अभिभाषकगण उभय पक्ष को सुना गया।

4— दौराने बहस अभिभाषक अपीलांट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि रेस्पोडेंट केसरा द्वारा प्रस्तुत वाद धारा 53 आरटीए बंटवारे का नही था और ऐसे दावे में भू स्वामी तहसीलदार को पक्षकार बनाये बिना बंटवारे का दावा नही चल सकता है, इसके अलावा मृतक की भूमि में उसके बेवा व पुत्री व पुत्रों का समान हक/अधिकार होता है, इन सभी कानूनी प्रावधानों का अधीनस्थ न्यायालयों ने पूर्ण रुप से पालन नही किया है। उनका तर्क है कि रेस्पोडेंट केसरा के गवाहों के जो बयान हुए है वे सभी इस बात का कथन करते है कि केंसरा इजाजत से दावे में वर्णित आराजी पर काश्त करता है, ऐसी स्थिति में कब्जा मुखालफाना सिद्धान्त का कोई लाभ रेस्पोडेंट केसरा नही ले सकता है और उसका दावा पूर्णतया खारिज हाने योग्य था, फिर भी परीक्षण न्यायालय ने दावा डिक्री कर दिया एवं अपीलीय न्यायालय ने परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री के विरुद्ध अपील को खारिज कर दिया , जो निरस्तनीय है। उनका यह भी तर्क है कि विवादित आराजी लक्मा की मौरुसी सम्पत्ति नही थी बल्कि उसकी स्वअर्जित सम्पत्ति होने से पिता के जीवन काल में उसके पुत्र का कोई अधिकार नही होता है, इस कानूनी बिन्दु को दोनो ही अधीनस्थ न्यायालयों ने नही देखा है और गैर कानूनी रुप से अपीलाधीन निर्णय पारित किये गये है। अन्त में अपील स्वीकार कर दोनो ही अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णयों / डिक्री को निरस्त करने का निवेदन किया गया।

5— इसके विपरीत विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट का तर्क है कि परीक्षण न्यायालय ने रेस्पोडेंट की ओर से प्रस्तुत गवाहों के बयानों से व मौखिक साक्ष्य से वादी/रेस्पोडेंट के पक्ष में तनकी संख्या 1 व 2 को निर्णित करते हुए दावा डिक्री किया गया है। उन्होने यह भी तर्क दिया कि परीक्षण न्यायालय ने ग्राम दातीवास व सामरानी की भूमि वाद/रेस्पोडेंट के पिता लक्मा के नाम 12.77 है0 सम्पूर्ण व 9.01 हैक्टर में 1/3 हिस्सा तथा सामरानी की भूमि 4.57 हैक्टर को 5 भागों में विभाजित करते हुए वादी के हक में अंकित भूमि से खातेदारी की डिक्री पारित की गयी है ,जिसकी विद्वान प्रथम अपीलीय न्यायालय भी पुष्टि की है। अन्त में दोनो अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को कानून सम्मत बताते हुए हस्तगत अपील को सारहीन होने से खारिज करने का निवेदन किया ।

6— हमने अभिभाषकगण उभय पक्षों की ओर से की गयी बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलबध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। उक्त के अवलोकप से स्पष्ट है कि परीक्षण न्यायालय के समक्ष वादी/केसरा की ओर से लक्मा के वारिसान के विरुद्ध दावा खातेदारी हक व स्थाई निषेधाज्ञा जारी करने बाबत प्रस्तुत किया गया , जिसे परीक्ष न्यायालय ने डिक्री करते हुए प्रतिवादी/अपीलांट के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी की गयी है, जिसके विरुद्ध प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत होने पर उनके द्वारा भी परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को यथावत रखते हुए अपील को खारिज किया गया है। पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि रेस्पोडेंट केसरा द्वारा प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 53 आरटीए के तहत बंटवारे का नही था और ऐसे दावे में भू स्वामी तहसीलदार को पक्षकार बनाये बिना बंटवारे का दावा कानूनन नही चल सकता । चूँकि मृतक लक्मा की भूमि में उसके बेवा व पुत्री का समान हक होता है, इन सभी कानूनी प्रावधानों का अधीनस्थ न्यायालयों ने पालन नही किया है। रेस्पोडेंट केसरा के गवाहान के जो बयान हुए है वे सभी इस बात का कथन करते है कि केसरा की इजाजत से दावे में वर्णित आराजी पर काश्त करता है, ऐसी स्थिति में कब्जा मुखालफाना का सिद्धान्त का लाभ भी रेस्पोडेंट केसरा को नही मिल सकता , जिससे उसका दावा पूर्णतया खारिज योग्य था। चूँकि लक्मा की मृत्यु के बाद उसकी विवादित दोनो जगहों की भूमि में उनके समस्त वारिसान हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 8 के तहत प्रंथम श्रेणी के वारिसान होने से सभी वारिसान का विवादित आराजी में प्रत्येक 1/7—1/7 हिस्से के हकदार हैं। लेकिन विद्वान परीक्ष्णा न्यायालय ने वादी/रेस्पोडेंट की ओर से प्रस्तुत दावे को डिक्री कर तथा अपलीय न्यायलय ने परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को यथावत रखने का जो निर्णय पारित किया है, उक्त विधिक प्रावधानों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य हैं। परिणामस्वरुप हस्तगत अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।

7— अतः उपरोक्त विवेचन के प्रकाश में यह द्वितीय अपील स्वीकार की जाकर भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सिरोही द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 20—3—2002 एवं सहायक कलेक्टर भीनमाल द्वारा पारित

निर्णय व डिक्री दिनांक 30–12–2000 निरस्त किये जाकर मृतक लक्मा चौधरी की दोनो गॉवों दातीवास व सामरानी की समस्त आराजी का उनके समस्त वारिसान को 1 / 7–1 / 7 बहिस्सा बरावर का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है, तदानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते हैं।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

( सुनील कुमार शर्मा)
सदस्य

( प्रवीण गुप्ता)
सदस्य